पात्रता की शर्तें

1. आयु 18 से 55 वर्ष के बीच
2. गरीबी रेखा से दोगुनी आय वाले पात्र होंगे।
3. विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
4. ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र की दुकान निर्माण हेतु 110 वर्ग फुट जमीन खरीदने में समर्थ हो या स्वयं उसके पास हो।

ऋण की राशि— रु० 15,000-00 की धनराशि चार प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर साढ़े सात वर्ष के लिए दी जाती है जबकि रु० 5,000-00 अनुदान के रूप में विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

ऋण की अदायगी— सामान्यतया दो किश्तों में देय होगी।

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया : विकलांगता प्रमाण-पत्र जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड जिसमें एक हड्डी रोग सर्जन, नाक, कान, गला रोग के विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा एक फीजिशियन सम्मिलित होते हैं, के द्वारा विकलांगों का समग्र परीक्षण कर तत्काल ही विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार का दिन निश्चित है। विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले के लिए यह आवश्यक होता है कि विकलांग व्यक्ति ग्राम पंचायत प्रधान के स्तर से निर्गत स्थाई निवास प्रमाण-पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से लाए।

उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड : द्वारा भी अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के लिए इसी प्रकार की टर्म लोन योजना लागू है। इसका मुख्यालय 747 जवाहर भवन लखनऊ में है। दूरभाष क्रमांक 280647 व फैक्स नं० 281053 है। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण-विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

1. पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना

इस योजनान्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रुपया 1000=00 तक है, को निम्नानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :-

(अ) प्रत्येक परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 तक कुल 11 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का मानक निर्धारित है। कक्षा 3 से 5 तक 25 रुपया मासिक की दर से एक-एक, कक्षा 6 में 40 रुपये की दर से दो-दो, कक्षा 7 एवं 8 में रु० 40 की दर से तीन-तीन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। कक्षा 9 एवं 10 में 60 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ब) निर्धारित मानक के अन्तर्गत पिछड़ी जाति के वे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे जिन्होंने विगत परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो तथा वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित हों।

(स) कक्षा 3 से 8 तक की छात्रवृत्ति का वितरण नगरीय क्षेत्र में विद्यालयों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत् है। **(अ)** आय के मामलों में माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 500=00 एवं छात्रा के मामलें में 750=00 से अधिक न हो।

(ब) छात्रवृत्ति बजट की उपलब्धता की सीमा के अन्तर्गत रु० 54=00 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

3. अनावर्ती सहायता योजना

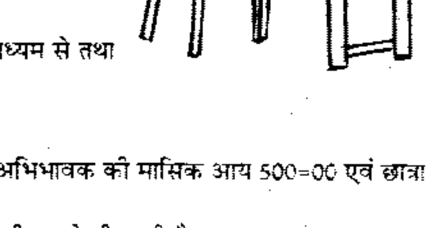

दशमोत्तर कक्षाओं एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 11800=00 रुपये से अधिक न हो, पुस्तकें एवं उपकरण क्रय करने हेतु अधिकतम रु० 500=00 वार्षिक तक अनावर्ती सहायता प्रदान की जाती है।